<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 04/2026-27 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों (मुख पृष्ठ और पृष्ठ 362, 363 और 364) का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/एमवाईटीपी/एनआईए/सीपी-I/2025-26

आदेश संख्या 04/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (डीएक्सएन) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख :12 मई, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय 3: 22 *जनवरी* 2020 *से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) तक की अवधि की पूर्व सीओडी की हानियाँ*

3.6.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर के लिए कंपनी की शुरूआत से सीओडी तक की अवधि के लिए पूर्व-सीओडी के नुकसानों को टैरिफ का हिस्सा न मानना।

3.6.2 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के प्रयोजन से फ्यूल फार्म और कार्गो रियायतों से प्राप्त अग्रिम शुल्क के ऋण परिशोधन को हवाईअड्डे के सीओडी से प्रारंभ हुआ मानना।

अध्याय: 4 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.6.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 34 के अनुसार यात्री, एटीएम और कार्गो यातायात को मानना।

4.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो यातायात) को टूअप करना।

अध्याय : 5 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.10.1 पैरा 5.4.4 और 5.9.10 के विवरण के अनुसार टर्मिनल भवन (टीबीएलआर) के 88:12 (वैमानिक: गैर-वैमानिक) के अनुपात को मानना।

5.10.2 तालिका 93 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वित्तीयन भत्ते को मानना और वित्तपोषण भत्ते के पूंजीकरण को पैरा 5.9.11 में बताए अनुसार केवल 31 मार्च, 2026 तक सीमित करना।

5.10.3 पैरा 5.9.12 में बताए अनुसार,पूर्व प्रचालन व्यय के पूंजीकरण को केवल 31 मार्च**,** 2026 तक सीमित करना।

5.10.4 तालिका 95 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को मानना।

5.10.5 तालिका 111 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

5.10.6 *केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम*, 2017 *के अध्याय* V *के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना (जैसा कि पैरा* 5.3.180 *में विस्तार से बताया गया है)।*

5.10.7 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 5.3.245 के विवरण के अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1*%* राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगी।

5.10.8 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

5.10.9 तालिका 112 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

5.10.10 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित करते समय**,** वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

5.10.11 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 113 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

5.10.12 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय : 6 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

6.6.1 पैरा 6.2.7 के अनुसार वाईआईएपीएल की प्रस्तुति के अनुसार 10% ऋण की लागत को मानना।

6.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक (या) भारतीय स्टेट बैंक के छ: (6) माह के औसत एमसीएलआर + 150 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को टू-अप करना।

6.6.3 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

6.6.4 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 118 के अनुसार 12.69% एफआरओआर को मानना।

अध्याय : 7 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

7.5.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 112 के अनुसार मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

8.6.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 174 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

8.6.2 वाईआईएपीएल द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों को औचित्य एवं कार्य क्षमता की शर्त पर अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय मानना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व (एनएआर)

9.6.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा,जेवर के लिए तालिका 223 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व को मानना।

9.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना। यदि यह प्राधिकरण द्वारा तालिका 223 में यह निर्णीत राजस्व से उच्चतर हो।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

10.5.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर के लिए तालिका 226 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कराधान को मानना।

10.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 11 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.5.1 वाईआईएपीएल यह सुनिश्चित करे कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रियायत करार में बताए गए कार्य निष्पादन मानकों का अनुपालन किया जाता है और इसके अतिरिक्त, पैरा 11.2.4 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का भी पालन किया जाए, जो प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान प्रमुख हवाईअड्डों के लिए एक बार लागू हो गए हैं।

अध्याय 12 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

12.6.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 229 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।

12.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं दक्षता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को टू-अप करना।

अध्याय 13 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

13.5.1 तालिका 230 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

13.5.2 प्राधिकरण वाईआईएपीएल को निदेश देता है कि वह प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वीटीपी के कारण एटीएम और यात्रियों की संख्या में वृद्धि से प्राप्त राजस्व तथा दिए गए ऐसे प्रोत्साहनों का, वित्तीय वर्ष-वार अलग रिकॉर्ड रखे।

13.5.3 प्राधिकरण वाईआईएपीएल को निदेश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इकाओ के गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।

13.5.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक राजस्व के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

15 आदेश

15.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-1 (1ए, 1 बी) में बताए अनुसार नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

15.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के आदेश के संलग्नक-1 (1ए, 1 बी) में दिए गए दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

15.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

15.4 यह आदेश 15 जून, 2026 से प्रभावी किया जाएगा।

15.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

सुश्री नीतू सामरा,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड,
जेवर -203155

प्रतिलिपि;

1. **सचिव,** नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003

2. **नागर विमानन महानिदेशालय** :एआईसी जारी करने के लिए